

# यूपी से बिहार तक बारिश से आफत

पटना, 11 अगस्त. उत्तर प्रदेश और बिहार इन दिनों प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं. लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के उफान ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है. गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं.

बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठहर गया है और हालात दिन-ब-दिन गंभीर होते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. गंगा, घाघरा, कोसी और सोन नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर यह खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं.

ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी विकराल हैं. खेत, खलिहान, सड़कें और यहां

► **सैकड़ों गांवों में घुसा पानी, जनजीवन प्रभावित**

► **गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर**

तक कि मंदिर तक जलमग्न हो

चुके हैं. बिहार के दरभंगा, सिवान, समस्तीपुर, और उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बहराइच जैसे जिलों में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है. कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, और

हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है. प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश रुकने के कोई आसार नहीं हैं, जिससे मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं.

### आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटयाज रुस्तमजी, वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.बी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

**उज्जैन शाखा:** 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456101 (म.प्र.)

## आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरिटीडिज्नेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंप्रोसेसमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंप्रोसेसमेंट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नमुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पुर्नमुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंप्रोसेसमेंट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेखन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ताओं (ओ)/ प्रतिभूतिकर्ताओं (ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवम में संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध स्वयं सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेखन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताओं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह वेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 02010001177/ उज्जैन शाखा) अक्षय सिसोदिया (ऋणी) आरती सिसोदिया (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लेट नं.507 पांचवीं मंजिल ओम साईं ओम सांवेर रोड वार्ड नं.47 उज्जैन म.प्र. 456001 <b>चतुर्सीमाएँ:-</b> पूर्व - प्लेट नंबर 508, पश्चिम - खुली जगह फिर प्लेट नं.508, उत्तर - टाउनशिप का खुला क्षेत्र, दक्षिण - गलियारा	<b>12-05-2025</b> & <b>₹ 10,54,474/-</b>	<b>07-08-2025</b>
2	लोन नं. 02010000655/ उज्जैन शाखा) मनोज जैन (ऋणी) विनिता जैन (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लेट नंबर 508 पांचवीं मंजिल सिल्वर की ओम साईं ओम नटलीपलेटड टाउनशिप इनसाइड सांवेर रोड वार्ड नंबर 47 उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 <b>चतुर्सीमाएँ:-</b> पूर्व - टाउनशिप का खुला क्षेत्र, पश्चिम - प्लेट नंबर 507, उत्तर - टाउनशिप का खुला क्षेत्र, दक्षिण - कोरिडोर	<b>12-05-2025</b> & <b>₹ 10,45,921/-</b>	<b>07-08-2025</b>
3	लोन नं. 02010000810/ उज्जैन शाखा) अजय (ऋणी) राजकुमार कश्यप (जमानतदावर)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ. सर्वे नंबर 9/1/मिन-1 का भाग पर स्थित, आकाश परिसर मक्की रोड पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर 122, उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 <b>चतुर्सीमाएँ:-</b> पूर्व - प्लॉट नंबर 123, पश्चिम - प्लॉट नंबर 121, उत्तर - रोड, दक्षिण - प्लॉट नंबर 91 एवं 92	<b>12-05-2025</b> & <b>₹ 7,58,416/-</b>	<b>07-08-2025</b>
4	लोन नं. 02010000955/ उज्जैन शाखा) अशोक डोंडिया (ऋणी) राजू डोंडिया (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ. सर्वे एफएफ रेंजकेटर धाम मक्की रोड, पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर बी 10 उज्जैन मध्य प्रदेश - 456010 <b>चतुर्सीमाएँ:-</b> पूर्व - प्लॉट नंबर बी-11, पश्चिम - प्लॉट नं.बी-9, उत्तर - कोलोनो रोड, दक्षिण - अन्य मकान	<b>12-05-2025</b> & <b>₹ 3,48,035/-</b>	<b>07-08-2025</b>

**स्थान : मध्य प्रदेश**  
**दिनांक : 12-08-2025**  
**प्राधिकृत अधिकारी**  
**आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

## आज का इतिहास

- 1874 जापान ने इंग्लैंड की तर्ज पर डाक बचत प्रणाली शुरू की।
- 1874 जापान ने अपनी डाक बचत प्रणाली की शुरुआत की, जो इंग्लैंड में इसी तरह की प्रणाली के बाद तैयार की गई थी।
- 1884 स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए आधारशिला न्यूयॉर्क के हार्बर में बेदवार के द्वीप पर राखी गयी।
- 1891 अमेरिकन एक्सप्रेस ने विश्व की पहला ट्रेलर्स चेंक जारी किया।
- 1914 अमेरिका में पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई।

## मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुदीराम बोस को दी श्रद्धांजलि

कोलकाता, 11 अगस्त. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और बंगाली क्रांतिकारियों को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करने के लिए हिंदी फिल्म 'कैसरी चेंबर 2' के निर्माताओं को आलोचना की. हिन्डि और पश्चिम बंगाल शासन से लड़ते हुए 18 साल की उम्र में फाँसी पर झूलने वाले शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने बंगाली विधुतियों के प्रति केंद्रीय स्तर पर आन्दार की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने हिंदी फिल्म कैसरी 2 का हवाला दिया, जिसमें खुदीराम को सिंह और पंचाब के बेटे के रूप में दिखाया गया है। सुश्री बनर्जी ने सवाल उठाते हुए पूछ कि क्या भापाई आतंकवादी भारत के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक की पहचान को विकृत करने की हद तक जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "क्रांतिकारी खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. हाल में एक हिंदी फिल्म में क्रांतिकारी खुदीराम को 'सिंह' कहा गया, जो लोग स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या अब 'भापा-आतंकवादी' अथवा क्रांतिकारी खुदीराम के नाम को भी डूब-मरोड़ देने?" मुख्यमंत्री ने लिखा, हाल ही में, एक हिंदी फिल्म में क्रांतिकारी खुदीराम को सिंह कहा गया है. देश को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का अपमान क्यों किया जा रहा है? मेंदिनीपुर के हमारे अदम्य युवा को पंचाब के एक लड़के के रूप में चित्रित किया गया है. हमने हमेशा इस व्यक्तिको को श्रद्धांजलि दी है, जो देशपथि और सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक है. उन्होंने लिखा मोहनजी और उसके आचारस्य के क्षेत्रों के आगे के विकास के लिए डू जो खुदीराम के जन्म से निकटता से जुड़े हैं डू हमने मोहनजी के विकास प्राधिकरण की स्थापना की. उन्होंने कहा मोहनजी में, हमने शहीद को एक प्रतिमा स्थापित की है, पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया है.

### शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस- शिवालिक स्माल फायनेंस बैंक लिमि. 501, सालकोन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्यू दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली- 110025 व ब्रांच ऑफिस- शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि ., उज्जैन, मध्यप्रदेश

## परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक खंड]

वित्तीय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आरितियों की बिक्री हेतु सूची नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित. इसके द्वारा संसाधारण को, विशेष रूप से ऋणी(ओ) एवं जमानतदाता(ओ) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूति ऋणदाता के पास संकट/प्रकारित है, जिसका रचनात्मक कक्षा प्रतिभूति ऋणदाता शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को दिनांक 17-09-2025 को 'जहाँ है जैसी है', 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर रु. 4,60,000/- (रु. चार लाख साठ हजार मात्र), 09-05-2025 तक ब्याज और उसके बाद शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड को देय शुल्क 546443, 3. श्री करण सिंह पुर श्री गुरुजी रिजो डेरा नंबर 1, ईशानखेड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश 456443, 2. श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री करण सिंह डेरा नंबर 1, ईशानखेड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश 456443, 3. श्रीमती पद्मिनीबाई पत्नी श्री गोरु, डेरा नंबर 1, ईशानखेड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश 456443, 3. श्रीमती पद्मिनीबाई पत्नी श्री गोरु, डेरा नंबर 1, ईशानखेड़ी, उज्जैन मध्यप्रदेश-456443 (लोन खाता नं. 103041546739)

देनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
1. श्री करण सिंह आम्रज श्री गुरु जी पुरा - डेरा नं. 1, ईशानखेड़ी उज्जैन मध्यप्रदेश- 456443	9-5-2025 रु. 4,60,000/- (रु. चार लाख साठ हजार मात्र)	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा- आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 129.36 वर्ग मीटर मकान संख्या 14, गृह संख्या 12 पर स्थित, ग्राम ईशानखेड़ी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश. राजस्व अभिलेख नं पंजीकृत संख्या <b>MP43 162024A1884037</b> , पंजीकरण तिथि 10-07-2024, पृष्ठ 18.	रु. 7,00,000/- (रु. सात लाख मात्र)	10% रिजर्व मूल्य रु. 70,000/- (रु. सतर हजार मात्र)

**अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि-** 15 सितम्बर 2025 ..... 11.00 बजे से 15.00 बजे  
**नीलामी तिथि और बोली खोलने की तिथि और समय-** 17 सितम्बर 2025 को 1100 बजे से 1300 बजे तक.  
**प्रस्ताव/ ब्याज राशि जमा करने की अंतिम तिथि-** 16 सितम्बर 2025 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक, सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट [https://shivalkibank.com/auction\\_of\\_bank\\_properties.php](https://shivalkibank.com/auction_of_bank_properties.php) पर क्लिक करें पर जायें.  
**बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :-**

- संपत्ति 'जैसी है जहाँ है, जो भी हो' के आधार पर बेची जा रही है, इसलिए बिक्री बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के है.
- संपत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण उपरोक्त तिथि और समय पर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास किया जा सकता है.
- बिक्री के सभी सामान्य नियमों और शर्तों वाला बोली दस्तावेज/प्रारंभ प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान बैंक के ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है. इस्कुत बोलीदाताओं को निर्धारित बोली पत्र पर अपनी सौलंबंद बिक्री के बैंक प्राधिकृत अधिकारी को भेजनी होगी.
- बोली सौलंबंद लिफाके में जमा करनी होगी जिसमें नीलामी संपत्ति के लिए बोली का उल्लेख हो और साथ में अंतिम राशि। (बोली राशि का 10 प्रतिशत) डिमांड ड्रॉपट के रूप में जमा करनी होगी. शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जैन/निम्नलिखित बैंक के अर्पुक शाखा कार्यालय में 16 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले देवे. भरी नई बोलियों या अंतिम राशि और समय के बाद प्राप्त बोलियों आमच्य मानी जाएगी और वदतुसार अस्वीकार कर दी जाएगी. अधिार राशि को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. बोलिदाता द्वारा बोली जमा करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा संकेगा।
- सौलंबंद बोलियों 17 सितंबर 2025 को सुबह 10:00 - 12:00 बजे बैंक के अर्पुक शाखा कार्यालय में उस समय उपरिखत बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी और उसके बाद पार बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार, प्रस्तावित मूल्य बढ़ाने के लिए परस्परबिक्री बोली में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है.
- प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरंभिक मूल्य से अधिक होगी और बोलीदाता 50,000/- रुपये के गुणकों में अपनी पेशकश करें और सुधार कर संकेगा. संपत्ति आरंभिक मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य.
- सचल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत ( ब्याज राशि सहित) अपने कार्प दिवस से पहले तत्काल शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में उज्जैन/नोएडा में देय डिमांड ड्रॉपट द्वारा जमा करना होगा और शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना होगा. इस्कुत बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं लगा होगा. यदि सचल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई दुरु करता है, तो अधिार राशि, 25 प्रतिशत, जो भी बिक्री हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी.
- बैंक प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य देय राशि, जैसे बकाया जल/विद्युत देय राशि, संपत्ति कर, नगरपालिका/पंचायत कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी अधिकरण या किसी अन्य न्यायिक कानून के तहत कोई अनुमति/अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
- सचल बोलीदाता किसी भी विकास प्राधिकरण के लक्षित देय राशि सहित सभी खर्च वहन करेगा. यदि सचल नियम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को देय कोई भी पद/उपयोगिता मिल आदि विक्रय प्रमाण-पत्र के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान.
- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, बिना कोई कारण बताए बिक्री स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित रहता है.
- एक बार की गई बोलियों रद्द या वापस नहीं ली जाएगी.
- जहाँ तक बैंक को अपनी जानकारी है, बैंक को संकेतक, बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार के बारे में बैंक को जानकारी नहीं है. इस्कुत पक्षों को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए. बैंक किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्ति की उपयुक्तता/स्थिति/व्यक्ति/गारंटर/बंधककर्ताओं को उनके पते पर एक बार बिक्री सूचना जारी करने जा रहा है. यदि वह किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं होती है, तो बिक्री सूचना के इस प्रकारण को सेवा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है.
- ऋणी/बंधककर्ता को उनके द्वारा सफरकी अधिनियम के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30 दिन का वैधानिक नोटिस दिया जाता है, जिसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण समवार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि वे नोटिस की तिथि से तीस दिनों के भीतर देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकें और ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान अवहन ब्याज और व्ययों सहित कर सकें. ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेच दिया जाएगा. यदि अंग्रेजी और स्थानीय समवार पत्रों में बिक्री नोटिस के प्रकाशन में कोई दिक्कत है, तो ऐसे स्थिति में अंग्रेजी समवार पत्र स्थानीय समवार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम पत्र माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी. यदि ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता बिक्री की तिथि से पहले बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी. हालांकि, ऐसे मामलों में, नोटिस में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लाम्प ब्याज लिया जाएगा और आकरिक व्यय, लागत आदि देय होंगे और उन्नी वसूली तक देय होंगे.
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्विवाद होगा. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनसे बाध्य होंगे.
- दिवरण, सहयता, प्रक्रिया और बोली लगाने के लिए समाहित बोलीदाता श्री शिखर से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क संख्या-7000245690

1. कृपया ध्यान दें कि सूचना प्रकाशना, बैंक सभी अधिकारों/सह-आयत्तियों/गारंटर/बंधककर्ताओं को उनके पते पर एक बार बिक्री सूचना जारी करने जा रहा है. यदि वह किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं करता है, तो बिक्री सूचना के इस प्रकारण को सेवा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है.

2. ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें/उन्हें उपरोक्त परिसर में/बैंक की अधिरक्षा में स्थित अपने परंतु सामान, यदि कोई हो, को इस प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर पूर्ण अनुमति लेकर प्राप्त करना होगा. ऐसा न करने पर बैंक का उस पर कोई दायित्व/उत्तरदायित्व नहीं होगा और वह ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता के जोखिम पर उसका निपटन करेगा और बिक्री की तिथि को बकाया राशि में समाविष्ट करेगा.

3. यदि किसी भी कारण से नीलामी स्थगित हो जाती है, तो कंपनी SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार निजी सचि के माध्यम से उपरोक्त गैरवी खेड़ी संपत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी.

**दिनांक: 06-08-2025**  
**स्थान: उज्जैन**  
**प्राधिकृत अधिकारी**  
**शिवालिक लघु बैंक बैंक**

## एक्सिस बैंक लिमिटेड

### गिरवी रखी गई परिसंपत्ति स्वर्ण आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

उधारकर्ता को विशेष और सामान्य रूप से जनता को यहां सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी एक्सिस बैंक द्वारा की निम्न शाखाओं में आयोजित की जानी है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने सुरक्षा के प्रति बैंक के पक्ष में सोने के गहने (गोल्ड लोन सुविधा) की गिरवी के एवज एक्सिस बैंक लिमिटेड से क्रेडिट सुविधा का लाम उठाया है। उधारकर्ताओं/ गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं/ गारंटरों को गोल्ड लोन सुविधा का लाम उठाने के लिए उनकी बकाया राशि का मुगतान करने के लिए कहा है। जैसा कि उधारकर्ता/ गारंटर बकाया ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, बैंक गिरवी आभूषणों की ई-नीलामी करने के लिए विवश है और **22-08-2025** को दोप. **12.30 बजे से 3.30 बजे**, जहां है जैसा है, जैसा है जितना है में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है। उधारकर्ताओं और बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

उधारकर्ता का नाम	ऋण खाता क्रं.	बकाया राशि (₹)	पुनः सूचना दिनांक	कुल वजन	शुद्ध वजन
<b>शाखा : खातिगांव सी 938 (म.प्र.)</b>					
मयन लोवंधी	XXXXXXXXXXXX6250	63644	31-07-2025	15.000	14.100
<b>शाखा : लसुडिया मोरी, इन्दौर (म.प्र.)</b>					
अनिल चौहान	XXXXXXXXXXXX4672	131611	30-01-2025	25.800	25.500
दरकाशीराम झामन	XXXXXXXXXXXX1407	128347	27-09-2024	28.100	27.890
सतीश	XXXXXXXXXXXX6137	23007	19-05-2025	200.100	188.400
<b>शाखा : मंदसौर (म.प्र.)</b>					
विष्णुनारायण कश्यप	XXXXXXXXXXXX3569	1072872	09-07-2025	264.000	260.000
कल्पना शर्मा	XXXXXXXXXXXX0860	164186	24-03-2025	42.400	41.700
वीरेंद्र सिंह बघेल	XXXXXXXXXXXX7049	86770	30-01-2025	27.600	19.400
शैलेन्द्र सिंह	XXXXXXXXXXXX5522	77874	24-03-2025	24.300	15.600
अमित कोडिल	XXXXXXXXXXXX5813	63076	24-03-2025	13.300	12.400
अशोक पोखवाल	XXXXXXXXXXXX4495	39130	31-07-2025	10.100	9.500
सलीम शेख	XXXXXXXXXXXX9311	39447	20-07-2024	11.100	8.800
<b>शाखा : मरीताता चौराहा इन्दौर (म.प्र.)</b>					
संजु कंडवरे	XXXXXXXXXXXX7395	29785	04-08-2024	7.370	7.100
<b>शाखा : महू महू (म.प्र.)</b>					
विवेक रायसेन	XXXXXXXXXXXX0063	331730	31-07-2025	58.700	57.700
मणेश स्वामी	XXXXXXXXXXXX1661	342351	09-07-2025	74.400	73.400
मोनिता पवारिया	XXXXXXXXXXXX8949	74900	28-08-2024	27.900	27.000
आमकप्रकाश साबले	XXXXXXXXXXXX2676	65144	08-05-2024	21.200	20.600
मनीष कुमार व्यास	XXXXXXXXXXXX8988	59411	08-05-2024	12.300	11.900
<b>शाखा : एमटीएच कम्पाउण्ड इन्दौर (म.प्र.)</b>					
वीरज पाराशर	XXXXXXXXXXXX0776	71915	31-07-2025	19.800	17.200
<b>शाखा : नागवा, उज्जैन (म.प्र.)</b>					
अरबाज खा	XXXXXXXXXXXX0611	98345	28-02-2025	32.000	20.000
<b>शाखा : नीरम (म.प्र.)</b>					
विजय श्यामका	XXXXXXXXXXXX0781	1209027	19-05-2025	233.250	233.000
मदनलाल धाकड़	XXXXXXXXXXXX7755	928468	09-07-2025	214.550	166.900
पुष्पेंद्र सिंह रामपूत	XXXXXXXXXXXX0440	411937	21-07-2025	99.430	80.140
सुनम बाई	XXXXXXXXXXXX5678	219940	31-07-2025	63.530	55.130
शंकर लाल रावतमीणा	XXXXXXXXXXXX4719	119940	31-07-2025	52.620	39.090
लाखन धनगर	XXXXXXXXXXXX2342	233552	27-09-2024	183.000	60.000
श्रीकांत समीर	XXXXXXXXXXXX3914	150722	31-07-2025	33.110	32.000
गुलाब सिंह	XXXXXXXXXXXX1833	88360	28-11-2024	19.250	19.000
कपिल जैन	XXXXXXXXXXXX2340	83446	08-04-2025	28.230	19.230
मंवर कुँवर	XXXXXXXXXXXX0539	71678	30-01-2025	20.060	15.000
अनिता कुँवर राजपूत	XXXXXXXXXXXX8649	61054	30-01-2025	18.490	15.700
श्रीकांत समीर	XXXXXXXXXXXX9308	48841	31-07-2025	14.650	11.050
दाहिनी सरगरा	XXXXXXXXXXXX3551	46007	06-09-2024	10.820	10.200